

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: संयुक्त विज्ञापन सं.- 03/भर्ती/2014-15

दिनांक : 22.07.2014

आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं-

प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न विषयों में प्रवक्ता (Lecturer) के क्रम संख्या 1 से 10 तक के पदों की राजस्थान तकनीकी (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत तथा क्रम संख्या 11 एवं 12 के पदों की राजस्थान तकनीकी (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थायी-स्थायी होने की सम्भावना। कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:- (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)

पद क्र.सं.	पद/विषय का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	पद क्र.सं.	पद/विषय का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या
1	प्रवक्ता - सिविल अभियांत्रिकी	27	7	प्रवक्ता-रसायन शास्त्र	7
2	प्रवक्ता-यांत्रिकी अभियांत्रिकी	58	8	प्रवक्ता-गणित	19
3	प्रवक्ता-विद्युत अभियांत्रिकी	76	9	प्रवक्ता- अंग्रेजी	18
4	प्रवक्ता- इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी	56	10	प्रवक्ता-कैमिकल अभियांत्रिकी	5
5	प्रवक्ता-कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	46	11	प्रवक्ता-टेक्सटाईल डिजाईनिंग	14
6	प्रवक्ता- भौतिक शास्त्र	8	12	प्रवक्ता-कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मैकिंग	9

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं -

(i) क्रम संख्या 1 से 10 तक के पदों के लिए योग्यता:- (1) First Class Bachelor's degree in appropriate branch of Engineering / Technology OR First class master's degree in appropriate branch for teaching posts in Humanities and Sciences.

क्रम संख्या 11 के पद के लिए योग्यता:- (1) (a) Second class Degree in Textile Designing branch / faculty of a University established by law in India in or its qualification recognized as equivalent there to by the Govt. OR Second class Degree in Arts/Science/Commerce of a University established by law in India with three years Diploma from any State Board in Textile Designing branch / faculty. (b) **Preferable:** Minimum two years Professional/ Teaching experience after acquiring qualification as mentioned above.

क्रम संख्या 12 के पद के लिए योग्यता:- (1) (a) Second class Degree in Costume Design & Dress Making of a University established by law in India OR Second class Degree in Arts/Science/Commerce of a University established by law in India with three years Diploma in Costume Design & Dress Making in Second Division in Costume Design & Dress Making from any State Board of Technical Education. (b) **Preferable:** Minimum two years Professional / Teaching experience after acquiring qualification as mentioned above.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे-बैण्ड क्रम संख्या 1 से 12 तक के पदों के लिए :- रनिंग पे बैण्ड- 3 (15600-39100) ग्रेड-पे संख्या- 15 (रुपये 5400/-)

आयु सीमा दिनांक 01.01.2015 को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 37 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3	सामान्य वर्ग की महिला	5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है-“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4.	एन.सी.सी के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
5.	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबटेन्टिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6.	निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमीशन ग्रहण के समय आयुसीमा की दृष्टि से पात्र थे।
7.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के मामले में प्रवक्ता के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी।
8.	कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है। स्पष्टीकरण :- पद क्रम संख्या 1 से 7 एवं 11 व 12 के पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त पदों हेतु नियमानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी तथा पद क्रम संख्या 8, 9 एवं 10 के पदों हेतु नियमानुसार तीन वर्ष की छूट देय होगी।

नोट -

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

अन्य विवरण

शैक्षणिक प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। स्पष्टीकरण:- उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 01-08-2014 से दिनांक 29-08-2014 रात्रि 12-00 बजे तक

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना :- "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन

आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।”

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 01.01.14 को जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव